भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4689
24.03.2021 को उत्तर देने के लिए

एमपीलैड योजना हेतु केंद्रीय निगरानी

4689. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एमपीलैड योजना के लिए कोई केंद्रीय निगरानी तंत्र विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इसकी मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) जी, हां ।

(ख) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) संबंधी दिशा-निर्देशों में विस्तृत निगरानी रूपरेखा प्रदान की गई है । इन दिशा-निर्देशों के अध्याय 6 में योजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत निगरानी तंत्र निहित है; जिसमें i) केंद्र सरकार, ii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार, iii) जिला प्राधिकारी और कार्यान्वयन एजेंसियों की भूमिकाएं क्रमश: पैरा 6.2, पैरा 6.3, पैरा 6.4, और पैरा 6.5 में दी गई हैं ।

(ग) और (घ) एमपीलैड्स संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुलग्नक-VI में नोडल जिला प्राधिकारी द्वारा, मासिक आधार पर, प्रत्येक आसीन/पूर्व राज्य सभा/लोक सभा सदस्य के लिए अलग-अलग रिपोर्ट तैयार करने और इस मंत्रालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ-साथ संबंधित संसद सदस्य को रिपोर्ट की प्रति भेजने के लिए मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) हेतु प्रपत्र निहित है ।

*****